



**UPSB040079442021**

**न्यायालय Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra**  
**पीठासीन अधिकारी-(Sri Achal Pratap Singh), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP01966**

मुकदमा संख्या-4408 / 2021

सुमन

बनाम

रमेश यादव,

**07.08.2023:-**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी मय अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी अनुपस्थित चल रही है। परिवादिनी द्वारा कोई मोहलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके द्वारा न तो स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० दर्ज कराया गया है और न ही किसी अन्य साक्षियों को अन्तर्गत धारा-202 दं०प्र०सं० में परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा परिवाद पत्र पर भी कोई बल नहीं दिया जा रहा है। अतः विपक्षी को साक्ष्याभाव में तलब किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। जिसके आधार पर प्रस्तुत परिवाद अं०धारा-203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है। अतः परिवाद परिवादिनी की अनुपस्थिति में अं०धारा-203 दं०प्र०सं० के अंतर्गत निरस्त किए जाने योग्य है।

**—:आदेश:-**

परिवाद अं० धारा-203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**(अचल प्रताप सिंह)**  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सोनभद्र